नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/5116/स्थापना भर्ती/2024 खण्डवा, दिनांक–13/07/2024

विशेष अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन की भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क.एफ–08–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04.01.2024 के परिपालन में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन हेतु चिन्हित रिक्त पदों की पूर्ति, साक्षात्कार (Walk in Interview) के माध्यम से की जानी है, इस हेतु दिनांक 25.07.2024 को सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं अथवा डाक के माध्यम से अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा.खण्डवा, 450001 के नाम से संबोधित कर प्रेषित करें। मूलतः दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार (Walk in Interview) पृथक से सूचना जारी की जावेगी इस हेतु अभ्यर्थी समय–समय पर नदंकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की वेबसाईट www.gmckhandwa.org का अवलोकन करें। **निम्न तालिका में दर्शाये गये रिक्त पद केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी श्रेणी (जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है।) पात्र अभ्यर्थियों हेतु चिन्हीत है।** तृतीय एव चतुर्थ श्रेणी के कुल स्वीकृत पदों में से दिव्यांगजनों हेतु चिन्हीत 23 पदों में से 02 पद पूर्व मे भरे गये है एवं रिक्त कुल 21 पदों की पद पूर्ति हेतु यह विज्ञप्ति जारी की जा रही है। पदों का विवरण, वेतनमान निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	पदनाम	कुल पद	UR	SC	ST	OBC	EWS	वेतनमान
1.	सहायक ग्रेड–3	01	01	00	00	00	00	5200–20200+1900
2.	स्टाफ नर्स	14	04	02	02	04	02	5200–20200+2800
3.	टेक्नीशियन	1	00	00	00	01	00	5200–20200+2800
4.	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	1	01	00	00	00	00	5200–20200+2400
5.	टेक्नीशियन असिस्टेंट	1	01	00	00	00	00	5200–20200+1900
6.	ड्रेसर ग्रेड–2	1	01	00	00	00	00	5200–20200+1800
7.	लैब अटेंडेंट	2	01	00	00	01	00	4440–7440+1300
	कुल योग	21	09	02	02	06	02	

शैक्षणिक योग्यताः–

क.	पद का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1.	सहायक ग्रेड–03	1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो। 3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।
2.	स्टाफ नर्स (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।
3.	टेक्नीशियन	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

Scanned with CamScanner

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

4.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा। 3. म.प्र. फार्मेसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
5.	टेक्नीशियन असिस्टेंट	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
6.	ड्रेसर ग्रेड-2	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. तीन माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण।
7.	लैब अटेंडेंट	1. बायोलॉजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

1. नियम एवं शर्ते

समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगें। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना शासन के आदेशानुसार प्रभावी होगी। साथ ही म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 की कंडिका "ब" अनुसार परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

2. आरक्षण :-

i. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

ii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होगें।

iii. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।

iv. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत **"4-ख-आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध"** में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रकिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा"

v. निःशक्तजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग कमांक एफ-8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितंबर 2018 अनुसार होगा।

vi. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों (केवल महिला) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।

vii. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. आयुसीमा :- न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष।

नोटः- आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जावेगी।

Scanned with CamScanner

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

4. सामान्य शर्तेः–

i. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

ii. नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है।

iii. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नही किया जावेगा।

iv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रुप से कमजोर संवर्ग) तथा जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारुप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगा। **(जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र डिजीटल होना अनिवार्य है)**

v. उम्मीदवारों को पूर्ण रुप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज एवं दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान जमा करना अनिवार्य होगा।

vi. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रकिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगीं।

vii. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

viii. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तक ही सीमित होगा।

ix. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

x. स्कुटनी के समय जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।

xi. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।

xii. महिला स्टॉफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

xiii. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।

6. अनर्हतायें :–

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

i. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो।

ii. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो ।

iii. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो ।

iv. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो ।

v. चयन प्रकिया में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारिरिक क्षति पहुचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो ।

Scanned with CamScanner

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

vi. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो –

अ. महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाए गए।

स. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

vii. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

viii. ऐसे उम्मीदवार जिनके स्वयं की एवं पति/पत्नि की आयु विवाह के समय पुरूष 21 वर्ष एवं महिला 18 वर्ष से कम होने पर आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

7. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है:–

1. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र।
3. शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निःशक्तजन प्रमाण पत्र।

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

आवेदन पत्र का प्रारूप–2024

1. विज्ञापन क्रमांक ....दिनांक..
2. आवेदित पद का नाम ....
3. आवेदक का पूरा नाम (उपनाम सहित) ....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) :– ....
5. जन्म तिथि......../......../......................

   (प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. आयु:– वर्ष...........माह..............दिन.............(दिनांक 01.01.2025 स्थिति में)
7. वर्तमान निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड एवं मो. नं. :–..

   ....
8. स्थाई निवासी का पूर्ण पता तथा पिन कोड :–..

   ....
9. विशेष पिछडी जनजाति का नाम एवं स्थान:..
10. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं (हां/नहीं)..
11. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि..
12. विवाहित होने पर जीवित संतान संख्या..................अंतिम बच्चे की जन्मतिथि ....
13. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक..
14. शैक्षणिक योग्यता :– (विज्ञापन अनुसार पद हेतु उल्लेखित समस्त अर्हता परीक्षाओं की जानकारी)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांको का प्रतिशत
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

15. अन्य विशेष योग्यता :–.......................................

Scanned with CamScanner

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

16. निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें :-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	(हां / नहीं / लागू नहीं)
1	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
2	अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12 वी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।	
3	रोजगार कार्यालय का पंजीयन।	
4	दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रतिशत सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी।	
5	अर्हता परीक्षाओं से संबंधित समस्त अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
6	कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।(यदि लागू हो तो)	
7	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
8	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
9	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति–प्रमाणपत्र ,डिजिटल की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
10	यदि कोई सेवा में हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। (यदि लागू)	
11	निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26/01/2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ–पत्र (यदि लागू हो तो)	
12	विधवा / परित्याकक्ता / तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तद्विषयक शपथ–पत्र। (यदि लागू हो तो)	
13	आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र। यदि लागू हो तो।	
14	सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में कम्प्यूटर दक्षता और हिन्दी टायपिंग उत्तीर्ण है? हॉं / नही, यदि हॉं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
15	कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण है? हॉं / नही, यदि हॉं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।	

स्थान ....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक......................

घोषणा–पत्र

प्रमाणित करता / करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है, जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यावाही की जा सकेगी।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक ....

Scanned with CamScanner